

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 177/2023

अनवान : -

1. कमला देवी पत्नी सन्तराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।  
-प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी  
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 10/06/2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 40/40 की कुल 7.9440 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीया का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में कमा पुत्री सन्तलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम कमला देवी पत्नी सन्तराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकाड,, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम कमला देवी पत्नी संतराम दर्ज है तथा सन्तराम का नाम भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड आदि में सन्तलाल के स्थान पर सन्तराम नाम दर्ज है। सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने प्रार्थीया को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 40/40 की कुल 7.9440 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीया का नाम कमा पुत्री सन्तलाल दर्ज है। प्रार्थीया का कथन है कि उसका सही नाम कमला देवी है तथा वल्दीयत में पुत्री के स्थान पर पत्नी एवं पति का सही नाम सन्तलाल के स्थान पर सन्तराम है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का पिचकराई, भू0अ0नि0 जसाना एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंका की गई है।

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकाड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम कमला देवी पत्नी सन्तराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीया का नाम कमा पुत्री सन्तलाल के स्थान पर कमला देवी पत्नी सन्तराम होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों तथा तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 40/40 की कुल 7.9440 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कमा पुत्री सन्तलाल के स्थान पर कमला देवी पत्नी सन्तराम का संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। नाम संशोधन के संबंध में प्रार्थीया द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेवार होगी। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/06/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023

नोहर (हनुमानगढ़) पिचकराई

